रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932
No. 589] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2010

का.आ. 714(अ).—पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, कमरा नं. 621, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को भेज सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम के नियम 4 में,—

(क) "समिति का गठन" शब्दों के पश्चात् "तीन वर्ष की अवधि के लिए" शब्द, अंत:स्थापित किए जाएंगे,

(ख) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(छ) जनता का एक प्रतिनिधि जो मानवतावादी हो या क्षेत्र का ऐसा कोई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जिसे पशु कल्याण का अनुभव हो" ।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, खंड (छ) के पश्चात्, में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) समिति के क्रियाकलापों को लोक सूचना में उद्घोषणा और विज्ञापनों के द्वारा लाएगी" ।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) उक्त परिक्षेत्र की मानीटरी समिति पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए कम से कम प्रत्येक मास में बैठक करेगी" ।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के, उप-नियम (6) में, "अन्य संस्थाओं" शब्दों के स्थान पर, "अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 27-02/2009-ए डब्ल्यू डी]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. का.आ. 1256(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2001, द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2010

S.O. 714(E). Whereas the following draft rules further to amend the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), for the information of the public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification;

And whereas any person desirous of making any suggestions or objections with respect to the said draft rules may forward the same, within the period so specified, to the Joint Secretary (Animal Welfare) of the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, Room No. 621, C.G.O. Complex, New Delhi-110003.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Animal Birth Control (Dogs) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,—

(a) after the words "constituted by the local authority", the words "for a period of three years" shall be inserted;

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(g) a representative of the people who is a humanitarian or a well known individual who has experience in animal welfare in the locality".

3. In rule 5 of the said rules, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

"(h) the activities of the Committee shall be brought to the public notice by announcements and advertisements".

4. In rule 6 of the said rules, after rule (3) the following rule shall be inserted, namely :—

"(4) The Monitoring Committee of the said locality shall meet at least once in every month to assess the progress made in regard to implementation of the Animal Birth Control Programme".

5. In rule 7 of the said rules, in rule (6) for the words "other institutions" the words "other recognized institutions" shall be substituted.

[F. No. 27-2/2009-AWD]

HEM PANDE, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. S.O. 1256(E), dated the 24th December, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.